

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/19-20/133

दिनांक: 18.03.2020

प्राचार्य


राजकीय महाविद्यालय (समस्त)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किये जाने एवं शेष (बजट) राशि को समर्पण किये जाने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय का पत्र क्रमांक लेखा/बजट/19-20/129 दिनांक 06.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये समस्त मदों में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग विभाग के दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग के नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करने तथा बचत रहने की सम्भावना पर दिनांक 13.03.2020 तक समर्पण करने को निर्देशित किया गया था। लेकिन अभी तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट की किसी मद में बचत रहने की संभावना हो तो अविलम्ब इस कार्यालय की IFMS आई.डी. 8959 में समर्पित करावें, जिससे राशि को अन्य महाविद्यालय को जारी कर सदुपयोग किया जा सके। आवंटित राशि के उपयोग नहीं किये जाने पर सम्बन्धित प्राचार्य व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

  
आर्युक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/19-20/134

दिनांक: 18.3.2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की ई-मेल व वेबसाईट के माध्यम से संबंधित को सुनिश्चित करावें।

  
वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर